

Order sheet [Contd]

case No. 33 / 14 क्लेम

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	<p>क्लेम प्रकरण क्रमांक-33/14 टिंकू जाटव बनाम सतेन्द्र सिंह एवं अन्य</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत । आवेदक टिंकू जाटव द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता उप0 । अनावेदक क्र0-1 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय । अनावेदक क्र0-2 द्वारा श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता उप0 । अनावेदक क्र0-3 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता उप0 । आवेदक टिंकू जाटव की ओर से श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में आवेदक की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें आवेदक के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।</p> <p>अनावेदक क्र0-3 की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क्र0-3 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें अनावेदक क्र0-3 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से सहमतिपत्र लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया । आवेदक टिंकू जाटव की ओर से श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता के द्वारा तथा अनावेदक क्र0-3 की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावेदक क्रमांक-3 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आवेदक टिंकू को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रूपये 12,000/- (बारह हजार) अदा करेंगे करेगा तथा अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे ।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया । राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <p>1. अनावेदक क्रमांक-3 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दुर्घटना में आवेदक टिंकू जाटव को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि रूपये 12,000/- (बारह हजार) दो माह की अवधि में अदा करे । विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करे ।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadors where necessary
	<p>2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 12,000/—(बारह हजार) आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।</p> <p>3. अनावदेक क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।</p> <p>4. उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे।</p> <p>5. अधिवक्ता शुल्क 1,000/— रूपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क. 20</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)